

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

rajssaquality@gmail.com

Ph-2701596

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/शाला-सिद्धी/2017-18/ 14753

दिनांक : 14/3/18

जिला शिक्षा अधिकारी, प्राप्राशिप एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय - शाला-सिद्धि वेब पोर्टल पर विद्यालय फीडिंग के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) नई दिल्ली के द्वारा सत्र 2016-17 से संपूर्ण देश में राष्ट्रीय मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम शाला-सिद्धि प्रारंभ किया है। इस सत्र 2017-18 में 100 से कम नामांकन वाले राजप्रा विद्यालय एवं 60 से कम नामांकन वाले राप्रा विद्यालयों के संस्थाप्रधानों के द्वारा विद्यालय से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन शाला-सिद्धि वेब पोर्टल पर अपलोड करनी है।

- इस कार्य को भलीभांति संपादित करवाने हेतु शाला-सिद्धि वेब पोर्टल पर विद्यालय से संबंधित सूचनाओं को फीड करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कार्य के आधार पर Task Basis पर किसी कम्प्यूटर एजेन्सी के माध्यम से वाह्य स्रोत (Out Source Agency) के द्वारा यह कार्य करवाया जावे। इस कार्य के लिए अधिकतम 8,500/- रु का व्यय किया जा सकेगा।
- उक्त कार्य के लिए अधिकतम 8,500/- रु की राशि का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान राज्य स्तर से रेम्स मद (REMS Head) के उपमद शाला-सिद्धि से कर दिया गया है।
- इस संबंध में समस्त जिला परियोजना समन्वयक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एसएसए/आरएमएसए समस्त बीईईओ एवं पीईईओ अपने स्तर से प्रभावी मॉनीटरिंग कर नियत समय में कार्य को संपादित करावें।
- ऑनलाइन फीडिंग में आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु ब्लॉक ऑपरेटर/आरपी शाला-सिद्धि एवं एसएसए जिला एमआईएस इंचार्ज को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु पाबंद करें।
- जिला स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होने पर राज्य स्तर से समन्वय करें।
- निर्धारित समय में ब्लॉक/पंचायत में चयनित समरत विद्यालयों का फीडिंग कार्य पूर्ण करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी कमंशः ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं पंचायत पदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) की होगी एवं ब्लॉक स्तर पर RP's को स्कूल आवंटित कर मॉनीटरिंग का उत्तरदायित्व भी सौंपा जावे।
- किसी भी स्थिति में कार्य पूर्ण करने की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

4, 2

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक : राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/शाला-सिद्धी/2017-18/ 14754

दिनांक : 14/3/18

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
- निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
- निजी सचिव, एसआईआरटी, उदयपुर।
- उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त संभाग।
- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए/रामाशिप, समस्त जिले।
- बीईईओ/पीईईओ समरत।
- रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

ममता यादव
(ममता यादव)
उपायुक्त (गुणवत्ता)